

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 24016

दिनांक 31 जुलाई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नागरिकों में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के निम्न आदेश से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नांकित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू कर उस क्षेत्र को **Containment Area** घोषित किया गया है।

जिले के निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने एवं प्रतिबन्धित क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त मुक्त किये जाने से निम्न क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से मैं **शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के निम्न **Containment** क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित** करता हूँ :-

क्र. सं.	आदेश क्रमांक, दिनांक	नाम उपखण्ड	Containment क्षेत्र
1	क्रमांक - 23756 दि0 - 17.07.2020	गंगापुर	उपखण्ड क्षेत्र गंगापुर में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्रीमती वेजन्ति तिलवानी पत्नी श्री दिलीप कुमार के संक्रमित पाये जाने से वार्ड नम्बर 03 में श्री सत्यनारायण पिता रामप्रसाद लड़ा के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में चम्पालाल जी सिंघवी का निर्माणधीन मकान तक दक्षिण दिशा रायपुर रोड की उत्तरी सीमा तक पूर्व दिशा में उपकोष कार्यालय के पिछे गोपीराम रेगर के मकान तक, पश्चिम दिशा में बीएसएनएल ऑफिस वाली गली तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
2	क्रमांक - 23887 दि0 - 24.07.2020		भीलवाड़ा शहर के आर.के. कोलोनी क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री मृणाल ओझा एवं सम्पत योगी के मकान न0 ए-78 को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में राजीव गांधी ऑडोटोरियम रोड तक दक्षिण दिशा में राजीव गांधी पार्क वाली रोड तक पूर्व दिशा में लवगार्डन रोड तक पश्चिम दिशा में शिवाजी पार्क वाली रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
3			भीलवाड़ा शहर के आर.सी.व्यास कोलोनी क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री विकास पिता रतन लाल के मकान न0 7-ए-32 को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में कोटा बाईपास रोड तक दक्षिण दिशा में शिवाजी पार्क रोड तक पूर्व दिशा में श्रीनाथ सर्किल तक पश्चिम दिशा में पालडी रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
4	क्रमांक - 23797 दि0 - 21.07.2020	जिला मुख्यालय	भीलवाड़ा शहर के आर0के0 कोलोनी क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री आत्मप्रकाश पिता सुशील कुमार के मकान न0 ए-10 को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में शिवाजी पार्क के सामने वाली रोड तक दक्षिण दिशा में राजीव गांधी पार्क रोड पूर्व दिशा में लव गार्डन रोड तक पश्चिम दिशा में रिशभ हॉस्पिटल रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

5	क्रमांक - 23797 दि० - 21.07.2020		भीलवाडा शहर के आर०सी०व्याप्त कोलानी क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री कृष्णन पिता रामकुमार अग्रवाल के मकान न० 6-बी-29/30 को केन्द्र बिन्दू मानते हुये उत्तर दिशा में शिवाजी पार्क की पश्चिमी रोड तक दक्षिण दिशा में छोटी पुलिया की पूर्वी रोड तक पूर्व दिशा में शिवाजी पार्क रोड तक पश्चिम दिशा में पालडी रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
6	क्रमांक - 23756 दि० - 17.07.2020	जिला मुख्यालय	भीलवाडा शहर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री अनिल पिता श्री रामराय सोनी बी-83 शास्त्रीनगर भीलवाडा के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुये उत्तर दिशा में बडला चौराहे से पूर्वी रोड तक दक्षिण दिशा में पार्क वाली रोड तक पूर्व दिशा में सॉलकी टॉकिज रोड तक पश्चिम दिशा में बडला चौराहा रोड अप्सरा फूड कोर्ट रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
7	क्रमांक - 23773 दि० - 20.07.2020		भीलवाडा शहर के गाडरी खेडा गांधीनगर क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री रामलाल/नगजी राम के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुये उत्तर दिशा में पथवारी रोड तक दक्षिण दिशा में पुर रोड पूर्व दिशा में गणेश मन्दिर रोड तक पश्चिम दिशा में पुराना आरटीओ रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई 2020 को सांय 6:00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।



(शिवप्रसाद एम. देवकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

01. संभागीय आयुक्त, अजमेर
02. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
03. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
04. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
05. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
07. उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाडा/गंगापुर
08. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाडा
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा
11. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाडा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा